फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बालेसर

कमला पत्नी गायडराम वगैरा **बनाम** गायडराम पुत्र रामूराम वगैराह

किस्म मुकदमा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधि. मुकदमा नम्बर 26/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
05.06.2020	वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 09.07.2020 को पेश हों।	
9/7/20	पत्रावली प्रस्तुत हुई। कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान में लॉकडाउन लागू किया गया है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार इलत्वा होकर दिनांक 13/8/20 को पेश हो।	
13/8/20	पत्रावली प्रस्तुत हुई। कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान में लॉकडाउन लागू किया गया है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार इलत्वा होकर दिनांक 9/9/20 को पेश हो।	
9/9/20	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप०। प्रतिवादीगणों के सम्मन जरिये रजि A.D. से भेजकर रसीदें आगामी पेशी पर पेश करें। पत्रावली दिनांक 27/10/20 को पेश हो।	
27/10/20	पत्रावली प्रस्तुत हुई। कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान में लॉकडाउन लागू किया गया है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार इलत्वा होकर दिनांक 10/12/20 को पेश हो।	
10/12/20	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/कुशल कार्य ... बाहर हैं। पत्रावली इलत्वा लेकर दिनांक 20/1/21 को पेश हो।	
20/1/21	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/कुशल कार्य ... पर है। पत्रावली इलत्वा लेकर दिनांक 21/1/21 को पेश हो। (राजकीय अवकाश)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Khemada
Date: 2023.03.09 16:14:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
10/1/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पुर्व पेशी पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सूनी गई थी। प्रतिवादीगण संख्या 2 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में अंकित किया गया है कि वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1021 रकबा 4.14 बीघा ग्राम बेलवा राणाजी में स्थिति भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 की पुश्तेनी भूमि बताई गई है तथा पुश्तैनी भूमि के अनुसार हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 की भूमि पर उक्त भूमि का घोषणा का वाद किया गया है जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 जो एक ही परिवार के है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ने दुरभि सन्धि करते हुए वाद पेश किया है। उक्त वाद के वास्तविक कथनो को छुपाकर वाद पेश किया है जबकि उक्त विवादग्रस्त भूमि की वास्तविकता यह है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि सम्वत् 2064 से 2067 में पांची देवी पत्नी फुसाराम जाति मेघवाल निवासी बेलवा के नाम से दर्ज थी। पांची देवी द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि जरिये बेचाननामा के प्रतिवादीगण संख्या 1 गायडराम को बेचान की गई तथा जिसका बेचाननामा के आधार पत्र नामान्तकरण संख्या 670 दिनांक 04.04.2010 के जरिये उक्त भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई जिससे पूर्णतया स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 की ख़रीद सुदा भूमि है। उक्त विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में न हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम लागू होगा न ही पुश्तैनी भूमि होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 लागू होगी। इस आधार पर उक्त वाद खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा अपने जवाब में अंकित किया गया है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि के मौके पर वादीगण का कब्जा व काश्त है तथा मौके पर वादीगण मकान बना कर निवास करते आ रहे है। जिससे एडवर्स टू पजेशन के आधार पर भी वादीगण उक्त भूमि के हक हिस्सेदार हो गये हैं। दुरभि संधि के तथ्य झुठे व निराधार है। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के साथ मिलीभगत करके वादीगण को उक्त काश्तसुदा, निवाससुदा भूमि से बेदखल करने की नियत से बैचाननामा निष्पादित करवा दिया तथा अब मौके से बेदखल करने [illegible] है। जबकि उक्त वादीगण संख्या 4 से 7 की पुश्[illegible] भूमि [illegible] है क्योंकि उक्त भूमि वादीगण संख्या 4 से 7 के दादा [illegible] की हुई भूमि है जिससे वादपत्र विधि सम्मत ही है। [illegible] द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का अवलोकन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Khemada
Date: 2023.03.09 16:14:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
	किया गया। वादी द्वारा अपने मूल वाद में उक्त भूमि को पुश्तैनी भूमि दर्शाया गया है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में किस प्रकार दर्ज हुई इसका अंकन वादी द्वारा अपने वाद में नही किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी में प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि को पुश्तैनी नही होकर प्रतिवादी संख्या 1 की खरीद सुदा भूमि होने के तथ्य अंकित किये गये है। वादी द्वारा अपने जवाब में भी उक्त तथ्य को पैरा नम्बर 3 के अन्त में स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पंजीकृत दस्तावेज से उक्त वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिफल प्राप्त कर बेचान की गई है। उक्त वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी नही होकर खरीदसुदा होने के कारण वादीगण उक्त भूमि में बिना बेचाननामा निरस्त करवाये खातेदार घोषित नही किये जा सकते है। अतः प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर वाद विधि द्वारा वर्जित होने से वादीगणों का वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। min उपखण्ड अधिकारी बालेसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Khemada
Date: 2023.03.09 16:14:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner